ST. THOMAS SCHOOL

SAHIBABAD

Sector IV, Lajpat Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, U.P. 201 005

(Affiliated to CBSE Vide No. 2130263, School Code- 60123)

05.08.2026

Clarification Regarding Recognition Beyond Class VIII

As per the prevailing education laws and regulations of the Government of Uttar Pradesh, the District Basic Education Officer (BSA) grants permanent recognition only up to **Class VIII**. Recognition for classes beyond Class VIII falls under the jurisdiction of the **Secondary Education Department** and is regulated through **CBSE Affiliation**.

Our school already holds a valid **CBSE Secondary Affiliation (Affiliation No.: 2130263)**. The present application is **solely for the upgradation of the existing affiliation from Secondary to Senior Secondary level**.

Therefore, the absence of a separate permanent recognition certificate from the BSA for classes beyond Class VIII is in accordance with the applicable statutory provisions and should not be treated as a deficiency in the application.

We request the competent authority to kindly consider this clarification while processing our application for Senior Secondary upgradation.

ST. THOMAS SCHOOL SAHIBABAD

Dious Mathai

Principal

PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक /मान्यता/ शि0 सं0 / 5141-42 / 2021 –22 दिनांक 25/3/2022

प्रबन्धक,

सेंट थॉमस स्कूल,

से0–4 लाजपतनगर साहिबाबाद गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 21–03–2022 द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। अभिलेखों के अनुसार विघालय को कक्षा–नर्सरी से कक्षा 08 तक माध्याम–हिन्दी/अंग्रेजी की मान्यता अस्थायी रूप से इस कार्यालय के पत्रांक/ मान्यता –शि0 सं0/17252–54/2018–19 दिनांक 31–03–2019 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर **शासनादेश संख्या– 89/ अरसठ–3–2018–2041 दिनांक 11–01–2019 एवं शासनादेश संख्या–196 /अडसठ– 3–2020 –2041 /2018 दिनांक 29 जून 2020** द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्ते पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती हैं। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होना अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0 सं0/शि0स0/ / 2021–22 तद्रदिनांक

प्रतिलिपि– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

ST. THOMAS SCHOOL SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

NO : CBSE/2130263/EX-03773-2324/2023-24/ Dated: 02/10/2022

The Manager,
ST THOMAS SCH SECT-IV SAHIBABAD GHAZIABAD UP
SECTOR-IV LAJPAT NAGAR,SAHIBABAD UTTAR
PRADESH,GHAZIABAD, 201005 (M: 0120-2631336)

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level .

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	**2130263**
School No	60123
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2023 to 31.03.2028

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

ST. THOMAS SCHOOL ★ SAHIBABAD ★

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	**Up to Class-XII** The number of sections shall be restricted in accordance with **'H'** above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	

- The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.
- The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.
- For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet

Important Notes : NA
School is required to appoint special educator & wellness teacher as per affiliation bye laws.

This is an electronically generated document. It does not need any signature.
To verify the authenticity of the document, please visit
(http://www.saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchdirReport).

ST. THOMAS SCHOOL SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

(1) 13

No. 3612/15-7-161/ 291/92

From

Shri. Ashok Ganguly
Deputy Secretary
U.P Govt.

To

Secretary
Central Board of Secondary Education
District Centre, 2 Community Centre
Preeti Vihar, New Delhi.

Education (7)Dept. Lecknow Dt. August 1995.

Sub. ST. THOMAS SCHOOL, SECTOR 4 LAJPAT NAGAR SAHIBABAD, GHAZIABAD , AFFILIATION TO THE CBSE - ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE REGARDING.

Sir,

On the above mentioned subject, I am directed to say that subject to the following condition the State Govt. have No objection in granting affiliation by the C B S C to St. Thomas School, sector-4, Lajpat Nagar, Sahibabad.

(1) The registration of the society whic h runs the school wil be renewed from time to time.

(2) A nominee of the Director of Education will be appointed to the Governing Body.

(3) 10% of the seatswill be reserved for children of SC/ST and they will not be c harged more than the fees payable by them in the schools run by the Board of Secondary Education, Utter Pradesh.

(4) The Institution will not seekrecognition from the State Govt. If already recognised by the Board of Secondary Education/ Basic Education Board and the school to affiliated to the CBSE / Council for the Indian School Certificate Examination New Delhi, subsequently, the recognition from the State Govt. will automatically be cancelled from the date of affiliation to the above Board/ Council.

(5) The teaching and non teaching staff will not be paid the pay and allowances less than that paid to Govt.aided schools.

(6) The service condition of employees will be made and these condition will be comparable to non-Govt. (aided) Higher Secondary School .

(7) The institution will follow the instruction issued by the State Govt. from time to time.

(8) The records of the school will be maintained in the prescribed terms/register.

(9) The above condition will not be altered/reduced or relaxed without the approval of the State Govt.

ST. THOMAS SCHOOL SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

Scanned with CamScanner

(2)

2. It is also stipulated that there are no untrained teachers in the school and the nursery classes are not conducted by the school the school is recognised from class I onwards only.

3. The institution has to strictly follow the above condition and if at any time its found that the institution is not following the above conditions or has deviated or relaxed the above condition, the State Govt. shall with draw the + + above permission.

ST. THOMAS SCHOOL SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रेषक,   संख्या- 3612/15-7-16(1291)/92.

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: अगस्त, 1995.

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4, लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा

(4)- संस्था द्वारा राज्यसरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5)- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6)- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापिकायें कार्यरत नहीं है तथा नर्सरी कक्षायें विद्यालय में संचालित नहीं है। यह विद्यालय कक्षा-1 से मान्य किया जाय।

---2/-

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

(4)

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

संख्या- 3612(1)/15-7-16(1)29(1)/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
5- प्रबन्धक, सेन्ट थामस स्कूल, 4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

(6)

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड,
शिविर कार्यालय,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा०/ /93-94 दिनांक: 29/9/93

विषयः- सेन्ट थामस स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना

महोदय,

निवेदन है कि सेन्ट थामस स्कूल, गाजियाबाद ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नः- उक्तवत्

भवदीय

डा० (आर०पी०यानी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ०सं०/मा०/ 19655-55 /93-94 उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ ।

2- प्रबंधक,/प्रधानाचार्य, सेन्ट थामस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद (गाजियाबाद) ।

डा० (आर०पी०यानी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

बोरा/1993

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

(7)

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड,
शिविर कार्यालय,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा0/ /93-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना
====

महोदय,

निवेदन है कि सेन्ट थामस स्कूल, गाजियाबाद ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न:- उक्तवत्

भवदीय

डा0 (आर0पी0त्यागी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ0सं0/मा0/ 1965-59 /93-94 उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ ।

2- प्रबंधक, /प्रधानाचार्य, सेन्ट थामस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद (गाजियाबाद) ।

डा0 (आर0पी0त्यागी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

बोरा/1993

ST. THOMAS SCHOOL ★ SAHIBABAD ★

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

(8)

प्रिय शाकिर अली जी,

मैं यह प्रार्थना पत्र सेंट थामस आपोजिम्स चर्च सोसायटी (रजि0)
गाजियाबाद की सी0 बी0 एस0 इ0 से मान्यता के लिए आपके एन0 ओ0
सी0 के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, जिसकी फाइल आपकी मान्यता के लिए
आपके आफिस में ही है ।

सैन्ट थोमस स्कूल आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने में समर्थ हूँ और
अगर इसे सी0 बी0 एस0 इ0 से **मान्यता नहीं** मिली तो इस करीब 1500
विद्यार्थी व उनके अभिभावक परेशान होगें ।

अतः आशा है कि उपरोक्त स्कूल की सी.बी.एस.इ. से मासन्यता के
लिए आप शीघ्र ही एन. ओ. सी. प्रदान करेगें ।

धन्यवाद

(के0 सी0 त्यागी)

शी शाकिर अली,
शिक्षा मन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ ।

ST. THOMAS SCHOOL ★ SAHIBABAD ★

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रेषक,   संख्या- 3612/15-7-16(1)291/92.

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 1995.

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

===

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4)- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5)- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6)- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापिकाएँ कार्यरत नहीं हैं तथा नर्सरी कक्षायें विद्यालय में संचालित नहीं हैं। यह विद्यालय कक्षा-1 से मान्य किया जाय।

---2/-

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

5- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

ह० —

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

संख्या- 3612(1)/15-7-168(29)/92, तद्दिनांक

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ
5- प्रबन्धक, सेन्ट थामस स्कूल, 4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,

ह० —

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रेषक,   संख्या- 3612/15-7-1611(81)/92-

श्री [illegible] गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 1995.

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

***

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4, लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराना जायेगा ।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4)- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि वर्ष में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तो विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5)- शिक्षक, शिक्षणेत्तर एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों [illegible] वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(6)- कर्मचारियों की सेवा [illegible] और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक [illegible] उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9)- इन शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये ।

2- [illegible] यह भी [illegible] कि [illegible] द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अनुचित क्रियाकलाप संचालित नहीं है तथा ऐसी कोई कक्षायें विद्यालय में संचालित नहीं है । यह विद्यालय कक्षा-8 [illegible] किया जाय ।

----2/-

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रेषक,   संख्या- 3612/15-7-1611(2)/92.

श्री सतीश गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 1995.

विषयः- सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4, लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

(1)- विद्यालय की संबद्धता सी0बी0एस0ई0 का समय समय पर नवीनीकरण कराना होगा ।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4)- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है और विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिषद की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5)- शिक्षक, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(6)- कर्मचारियों की सेवा [illegible] जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्तिक [illegible] लाभ प्रदान कराये जायेंगे ।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9)- इन शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि जिला [illegible] यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अनुचित क्रियाकलाप संचालित नहीं है तथा सभी कार्य विद्यालय में संचालित [illegible] है । यह विद्यालय कक्षा-1 से [illegible] शिक्षा [illegible]

ST. THOMAS [illegible]
SAHIBABAD

----2/-

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह देखा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक [illegible])
उप सचिव।

संख्या- 36(1)/15-7-16(1)298/93, तद्दिनांक

- -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
4- निदेशक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
5- प्रबन्धक, सेन्ट थामस स्कूल, 4 लाजपतनगर, सा0 साहिबाबाद, गाजियाबाद।

आज्ञा से,

(अशोक [illegible])
उप सचिव।

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3612/15-2

भार… की सेवा के लिये

पूर्ण

प्रिंसिपल
सेन्ट थामस स्कूल
4. लाजपत नगर साहिबाबाद
गाजियाबाद

ST. THOMAS SCHOOL
SAHIBABAD

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.